न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1075/I/2007 विरूद्व आदेश दिनांक 11–4–2007 पारित व्दारा न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – अपील प्रकरण कमांक 132 अ–6/2006–07

1– घप्पू पुत्र गुण्ठा अहिरवार

2– श्यामलाल पुत्र गुण्ठा अहिरवार

दोनों निवासी ग्राम गुना तहसील बल्देवगढ़

जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---- आवेदकगण

विरूद्व

छन्दी पुत्र बॅशिया अहिरवार

निवासी ग्राम गुना तहसील बल्देवगढ़

जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश ----अनावेदक

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 7 –7–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 132 अ–6/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.4.2007 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम गुना तहसील बल्देवगढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 1594 अ रकबा 0.919 हैक्टर , सर्वे कमांक 1598/1 रकबा 0.700 हैक्टर, सर्वे कमांक 1599 रकबा 0.547 हैक्टर, सर्वे कमांक 1600 रकबा 0.454 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.620 है0

(आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) गुलाम पुत्र खड्डया को पटटे पर प्राप्त हुई थी। पटटाग्रहीता गुलाम के पुत्र खुल्ला हुआ, खुल्ला के पुत्र गुण्ठा हुआ । अनावेदक खुल्ला के भाई का पुत्र है और आवेदकगण खुल्ला के पुत्र गुण्ठा के पुत्र है, जिन्होंने विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत की है।

पटवारी ग्राम गुना ने नायव तहसीलदार खरगापुर जिला टीकमगढ़ को इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक 22.7.2006 प्रस्तुत कर बताया कि वादग्रस्त भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के खसरे में खुल्ला के नाम आगे अनावेदक का नाम लिख दिया गया है तद्नुसार दुरूस्ती की जावे। नायव तहसीलदार खरगापुर ने प्रकरण कमांक 40 अ 6 अ/ 2005–06 पंजीबद्व किया तथा संहिता की धारा 115 के अंतर्गत विचार कर जॉच सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22.7.2006 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि खुल्ला के नाम की होना पाई जाकर उसके मृतक पुत्र गुण्ठा के पुत्र (आवेदकगण) का नाम खसरे में इन्द्राज करना स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ ने प्रकरण कमांक 99/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.10.2006 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष **अपील** कमांक 132 अ–6/2006–07 प्रस्तुत करने आदेश दिनांक 11.4.2007 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये तथा वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम गुना तहसील बल्देवगढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 1594 रकबा 0.919 हैक्टर , सर्वे कमांक 1598/1 रकबा 0.700 हैक्टर, सर्वे कमांक 1599 रकबा 0.547 हैक्टर, सर्वे कमांक 1600 रकबा 0.454 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.620 हैक्टर का पटटाग्रहीता एंव वाद में भूमिस्वामी गुलाम पुत्र खड्डया है। गुलाम के पुत्र खुल्ला हुआ, खुल्ला के पुत्र गुण्ठा हुआ। पटटाग्रहीता गुलाम के वाद वारिसाना हक में भूमि खुल्ला को प्राप्त हुई तथा उसका नामांत्रण हुआ। पटवारी ग्राम गुना के प्रतिवेदन दिनांक 22.7.2006 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के खसरा सन 1998–99 में खुल्ला के नाम के साथ अनावेदक का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के जोड़ दिया गया तथा आगे के खसरों में खुल्ला के नाम के साथ हिस्सा 1/2 छन्दी पुत्र वॅशिया नाम दर्ज किया गया, इसीका सुधार नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 22.7.06 से किया है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि जब ग्राम गुना स्थित भूमि सर्वे कमांक 1594 अ रकबा 0.919 हैक्टर , सर्वे कमांक 1598/1 रकबा 0.700 हैक्टर, सर्वे

कमांक 1599 रकबा 0.547 हैक्टर, सर्वे कमांक 1600 रकबा 0.454 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.620 हैक्टर का भूमिस्वामी खुल्ला दर्ज चला आ रहा था, तब वर्ष 1998–99 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हिस्सा 1/2 छन्दी पुत्र वॅशिया का नाम दर्ज कर दिये जाने वावत् त्रृटि सुधार नायव तहसीलदार करने हेतु सक्षम हैं अथवा नहीं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115 में प्रावधान है कि इस धारा के अधीन सशक्त अधिकारी को जब गलत प्रविष्टि (लिपिकीय त्रृटि) का पता चले, ऐसी त्रृटि का सुधार संहिता की धारा 115 के अंतर्गत करने हेतु नायव तहसीलदार सक्षम है और ऐसी त्रृटि सुधार के लिये धारा 115 में समयावधि का बन्धन भी नहीं है। इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ ने नायव तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है, किन्तु अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर ने नायव तहसीलदार व्दारा पारित विधिवत आदेश को एंव अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ व्दारा अपील में पारित आदेश दिनांक 13.10.2006 को निरस्त करने में भूल की है।

4/ अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा पारित आदेश दिनांक 11.4.2007 के अवलोकन से पाया गया कि उन्होंने अपील स्वीकार करने हेतु आधार लिया है कि विवादग्रस्त भूमि पर स्वत्व का दावा करने वाला व्यक्ति नामान्तरण के समय कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया गया, उसके वाद यह बताया जाना चाहिये था कि संबंधित भूमि पर उसे भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं उसके व्दारा ऐसा नहीं किया गया वह अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं था। लंबे समय के वाद उसके व्दारा नामांत्रण का दावा नहीं किया जा सकता। अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 11–4–2007 में मामला नामान्तरण की ओर मोड़कर अपील स्वीकार की है जबकि नायव तहसीलदार के न्यायालय में मूल मामला नामान्तरण का नहीं है, अपितु पटवारी रिपोर्ट पर से खसरा दुरूस्ती अर्थात गलत प्रविष्टि (लिपिकीय त्रृटि) का मामला विचारित हुआ है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा पारित आदेश दिनांक 11.4.2007 वास्तविक स्थिति के विपरीत पाये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ प्रकरण के अवलोकन से यह स्थिति निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि का पटटाग्रहीता गुलाम पुत्र खड्डया है उसके मरने के वाद वादोक्त भूमि पटटाग्रहीता गुलाम के पुत्र खुल्ला के नाम हुई, खुल्ला के पुत्र गुण्ठा हुआ , गुण्ठा मर चुका है उसके पुत्र आवेदकगण है जो खुल्ला के पुत्र के पुत्र होकर विधिक वारिसान है। खुल्ला भी मर चुका है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का खसरा सॅशोधित कर मृतक खुल्ला के वारिसान का नाम खसरे में दर्ज करने के आदेश देने में नायव तहसीलदार खरगापुर ने किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है क्योंकि मृतक खुल्ला की भूमि खुल्ला के भाई के पुत्रों को नहीं जायेगी, वरण् मृतक खुल्ला के मृत पुत्र गुण्ठा के पुत्रों (आवेदकगण) को जायेगी और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ ने आदेश दिनांक 13.10.2006 पारित करते समय नायव तहसीलदार खरगापुर के प्रकरण कमांक 40 अ 6 अ/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 22.7.2006 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है, किन्तु अपर

आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 132 अ–6/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.4.2007 में वास्तविकता के विपरीत जाकर अर्थ निकालते हुये त्रृटिपूर्ण ढंग से अपील स्वीकार की है जिसके कारण अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य हे।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 132 अ–6/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.4.2007 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है । तदनुसार नायव तहसीलदार खरगापुर के प्रकरण कमांक 40 अ 6 अ/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 22.7.2006 अनुसार ग्राम गुना स्थित भूमि सर्वे कमांक 1594 अ रकबा 0.919 हैक्टर , सर्वे कमांक 1598/1 रकबा 0.700 हैक्टर, सर्वे कमांक 1599 रकबा 0.547 हैक्टर, सर्वे कमांक 1600 रकबा 0.454 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.620 हैक्टर आवेदकगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर